

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 12 जनवरी 2017


विषय:- अमरोहा में बदायूँ-बिजनौर मार्ग एन०एच०-51 के किमी० 113.100 की दांयी पटरी पर ग्राम निजामपुर शर्की के खसरा सं०-79 में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-570/अमरोहा/ 19948/ 2016/यूपी-136, दिनांक 16-9-2016 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश दिनांक 11-7-2014 के शर्त संख्या- 1 से 7 तक का अनुपालन प्रस्तावक द्वारा किया गया है? कृपया एतद्विषयक सूचना बिन्दुवार सूचना यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।